न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बिजनौर।
दण्डवाद सं0–1900802/2017
अ0सं0–424/2000
राज्य बनाम विकार उर्फ सल्लू आदि।
धारा–452,324,326,504
506 भा0द0सं0।
थाना–नहटौर, बिजनौर।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बिजनौर।
समक्ष– नरेन्द्र कुमार–V, (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)।
दण्डवाद संख्या–1900802/2017
अ0सं0–424/2000
CNR No.- UPBJ04-009653-2017

राज्य बनाम
1. विकार उर्फ सल्लू पुत्र अबरार अहमद (दौराने वाद लम्बन मृत्यु)
2. इकरार उर्फ लाला पुत्र अबरार अहमद,
3. अकरम पुत्र अबरार अहमद,
4. अफजाल उर्फ शन्नू पुत्र मिजाज अली,
समस्त निवासीगण मौहल्ला हाथीवाला मन्दिर, थाना नहटौर, बिजनौर।
........अभियुक्तगण।

धारा–452,324,326,504,506 भा0द0सं0।
थाना–नहटौर, बिजनौर।

निर्णय

1. थाना नहटौर के विवेचक द्वारा उक्त अभियुक्तगण विकार उर्फ सुल्लू, इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के विरूद्ध उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में एक आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने एवं उक्त अभियुक्त विकार उर्फ सल्लू की दौराने विचारण मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा शेष अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू का उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में विचारण किया गया।

2. वादी मुकदमा मतीन अहमद पुत्र मुन्ना मुस्तफा, निवासी मौहल्ला लक्कडहारा, थाना नहटौर, बिजनौर के द्वारा उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में दिनांक 21.12.2000 को थानाध्यक्ष थाना नहटौर को एक तहरीर प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि "कल दिनांक 20.12.2000 को

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बिजनौर।
दण्डवाद सं0–1900802/2017
अ0सं0–424/2000
राज्य बनाम विकार उर्फ सल्लू आदि।
धारा–452,324,326,504
506 भा0द0सं0।
थाना–नहटौर, बिजनौर।

मेरे बड़े भाई नसीम उर्फ बब्बू की पत्नी और मेरी पत्नी के मध्य आपस में गाली–गलौच हो गयी थी। हम सब भाई एक ही मकान में रहते हैं। आज सबेरे से ही मेरे भाई नसीम उर्फ बब्बू की पत्नी गुल्लो मेरी पत्नी के साथ गाली–गलौच करती रही। शाम करीब 5:00 बजे मेरा भाई शमीम उर्फ काला हमारे घर पर रोजा खोलने के लिये पपीता काट रहा था, तब भी मेरी भाभी गुल्लो गाली–गलौच करती रही। मेरे भाई शमीम उर्फ काला ने गाली देने से गुल्लो को मना किया, तो गुल्लो एकदम हमारे घर से अपने मायके, जो कि पडोस में ही है, गयी और अपने भाई विकार उर्फ सुल्लू, इकरार उर्फ लाला एवं अकरम पुत्रगण अबरार अहमद मौहल्ला लक्कडहारान, थाना नहटौर एवं अफजाल उर्फ शन्नू पुत्र मिजाज अली निवासी मौहल्ला हाथीवाला मन्दिर नहटौर को अपने साथ ले आयी, जो कि हाथों में लाठी–डण्डे व चाकू–छूरा लेकर आये थे। उक्त मुल्जिमानों ने हमारे घर में घुसकर मुझे व मेरे भाई शमीम उर्फ काला के साथ मारपीट की। अफजाल उर्फ शन्नू ने मेरे भाई शमीम उर्फ काला की जांघ में चाकू मारा और अकरम ने मुझे छुरी मारी, जो कि मेरे गाल पर लगी। हमें छोटे एवं भूरे पुत्रगण सुक्खे एवं मौहल्ले के अन्य लोगों ने आकर बचाया। मुल्जिमान हमारे साथ गाली–गलौच करते हुए और हमें जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। मेरे भाई शमीम उर्फ काला को काफी खून बह रहा था। अतः मौहल्ले के नसीम उर्फ खिल्लू आदि लोग शमीम को लेकर सीधे बिजनौर चले गये हैं। मैं तहरीर लिखाकर थाने आया हूं। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

3. वादी मुकदमा मतीन अहमद के द्वारा दी गयी उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में दिनांक 21.12.2000 को ही समय 21:20 बजे पर एक एफ0आई0आर0 संख्या 193/2000, धारा 452,323,324,504,506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत वर्णित अपराध के सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगण विकार उर्फ सुल्लू, इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के विरूद्ध पंजीकृत की गयी, जिसके सम्बन्ध में जी0डी0 में दिनांक 21.12.2000 को समय 21:20 बजे पर ही जी0डी0 में रपट संख्या 57 के रूप में प्रविष्टि करते हुए विवेचना प्रारम्भ की गयी।

4. दौराने विवेचना विवेचक द्वारा बयान वादी मुकदमा मतीन अहमद, एफ0आई0आर0 लेखक, जी0डी0 लेखक, उक्त अभियुक्तगण विकार उर्फ सुल्लू, इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू एवं अन्य समयी साक्षीगण के अंकित करने, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार करने, वादी मुकदमा मतीन अहमद, चुटैल शमीम अहमद एवं शबनम के मेडिकल प्रपत्र संकलित करने एवं विवेचना सम्बन्धी अपनी अन्य तमामी औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् संकलित साक्ष्य के आधार पर उक्त मामलें में धारा 323 का लोप एवं धारा 326 भा0दं0सं0 की वृद्धि करते हुए उक्त अभियुक्तगण विकार उर्फ सुल्लू, इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के विरूद्ध धारा 452,324,326,504,506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत वर्णित अपराध के सम्बन्ध में प्रसंज्ञान लेकर विचारण किये जाने हेतु एक आरोप पत्र संख्या 10/2001 दिनांकित 17.01.2001

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बिजनौर।
दण्डवाद सं0–1900802/2017
अ0सं0–424/2000
राज्य बनाम विकार उर्फ सल्लू आदि।
धारा–452,324,326,504
506 भा0द0सं0।
थाना–नहटौर, बिजनौर।

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2001 को प्रसंज्ञान लेते हुए उक्त अभियुक्तगण विकार उर्फ सुल्लू, इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू को उपरोक्त वर्णित धारा 452,324,326,504,506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत वर्णित अपराध के सम्बन्ध में विचारण हेतु तलब किया गया।

5. उक्त अभियुक्तगण विकार उर्फ सुल्लू, इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा उक्त मामलें के सम्बन्ध में जमानत कराने के उपरान्त न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2001 को उक्त अभियुक्तगण विकार उर्फ सुल्लू, इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के विरूद्ध उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में आरोप विरचित किया गया, जो कि पत्रावली पर कागज संख्या 10ए/1 के रूप में संलग्न है, जिसमें वर्णित आरोपों को उक्त अभियुक्तगण विकार उर्फ सुल्लू, इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा झूंठा बताये जाने, उक्त आरोपों के सम्बन्ध में जुर्म इकबाल किये जाने से इंकार किये जाने तथा विचारण की मांग किये जाने पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण विकार उर्फ सुल्लू, इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू का उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में विचारण प्रारम्भ किया गया।

6. दौराने विचारण उक्त अभियुक्त विकार उर्फ सुल्लू की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2017 को उक्त अभियुक्त विकार उर्फ सुल्लू के विरूद्ध उपरोक्त मामलें की कार्यवाही उपशमित की गयी।

7. शेष अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू पर उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी के रूप में (i) वादी मुकदमा मतीन अहमद, (ii) शमीम (iii) तौहिदा एवं (iv) शबनम को ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इसके अलावा दस्तोवजी साक्ष्य के रूप में (i) वादी मुकदमा मतीन अहमद के द्वारा उक्त मामलें के सम्बन्ध में थाना नहटौर पर दिनांक 21.12.2000 को दी गयी, तहरीर कागज संख्या 5ए/1, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है, (ii) उक्त तहरीर के आधार पर उक्त मामलें के सम्बन्ध में थाना नहटौर पर दिनांक 21.12.2000 को ही पंजीकृत की गयी एफ0आई0आर0 कागज संख्या 4ए/1, (iii) उक्त मामलें के सम्बन्ध में दिनांक 21.12.2000 को समय 21:20 बजे पर ही जी0डी0 में रपट संख्या 57 के रूप में की गयी प्रविष्टि सम्बन्धित प्रपत्र की कार्बन प्रति कागज संख्या 6बी/1, (iv) विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर तैयार किया गया नक्शा–नजरी कागज संख्या 7ए/1, (v) वादी मुकदमा मतीन अहमद, अन्य चुटैल शमीम अहमद एवं शबनम के मेडिकल प्रपत्र मय एक्स–रे रिपोर्ट कागज संख्या 8ए/1–5 एवं (vi) विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त विवेचक द्वारा उक्त अभियुक्तगण विकार उर्फ सुल्लू, इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के विरूद्ध उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया आरोप पत्र कागज

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0—1, बिजनौर।
दण्डवाद सं0—1900802/2017
अ0सं0—424/2000
राज्य बनाम विकार उर्फ सल्लू आदि।
धारा—452,324,326,504
506 भा0द0सं0।
थाना—नहटौर, बिजनौर।

संख्या 3ए/1 दाखिल किये गये हैं। उक्त के अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2026 को उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू का उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अभिलिखित किया गया, जो कि पत्रावली पर कागज संख्या 15ए/1—3 के रूप में संलग्न है, जिसमें उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा घटना को झूंठा बताते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये उक्त साक्षीगण वादी मुकदमा मतीन अहमद, शमीम, तौहिदा एवं शबनम के द्वारा गलत बयानी किये जाने और अपनी ओर से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने सम्बन्धी कथन किया गया है।

9. उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू पर उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से अन्तिम बहस के रूप में तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा दिनांक 21.12.2000 को समय करीब 5:00 बजे शाम को वादी मुकदमा मतीन अहमद के घर, स्थित मौहल्ला लकडहारान, कस्बा व थाना नहटौर, जनपद बिजनौर में जबरदस्ती घुसकर वादी एवं वादी के भाई शमीम उर्फ काला एवं वादी की पत्नी शबनम के साथ चाकू—छुरो से मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाये जाने, गाली—गलौच कर साशय अपमानित किये जाने एवं जान से मारने की धमकी देकर भयभीत किये जाने सम्बन्धी अपराध कारित किया गया है, जिसे अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू को उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए अधिक से अधिक सजा से दण्डित करने की कृपा करें।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त तर्कों पर बचाव—पक्ष/अभियुक्त पक्ष की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उपरोक्त मामलें में वर्णित घटना समय 05:00 बजे शाम की बतायी गयी है, जबकि उक्त एफ0आई0आर0 रात में 09:20 बजे पर करीब साढे चार घण्टे की देरी से पंजीकृत करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त मामलें से सम्बन्धित एफ0आई0आर0 लेखक, विवेचक एवं डॉक्टर को भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है, जिस कारण पत्रावली पर संलग्न एफ0आई0आर0, नक्शा—नजरी, आरोप—पत्र एवं मेडिकल रिपोर्ट साबित नहीं हैं, जिससे घटना में एक सन्देह उत्पन्न होता है। अतः उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू पर उपरोक्त मामलें में लगाये गये आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं होते हैं।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बिजनौर।
दण्डवाद सं0–1900802/2017
अ0सं0–424/2000
राज्य बनाम विकार उर्फ सल्लू आदि।
धारा–452,324,326,504
506 भा0द0सं0।
थाना–नहटौर, बिजनौर।

11. सुना और पत्रावली पर संलग्न साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

12. अभियोजन पक्ष को उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू पर उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करना है।

13. अब इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू पर उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होते हैं अथवा नहीं? अर्थात क्या दिनांक 21.12.2000 को समय करीब 5:00 बजे शाम को उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा वादी मुकदमा के घर स्थित मौहल्ला लकडहारान कस्बा व थाना नहटौर, जिला बिजनौर में जबरदस्ती घुसकर वादी मुकदमा मतीन अहमद, वादी के भाई शमीम अहमद एवं वादी की पत्नी शबनम के साथ गाली–गलौच कर साशय अपमानित किये जाने, चाकू–छूरों से वार कर गम्भीर चोटें पहुंचाये जाने तथा जान से मारने की धमकी देकर भयभीत किये जाने सम्बन्धी अपराध कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है अथवा नहीं?

14. उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू पर उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन करने से पूर्व धारा 452,319,321,324,320,326,504,503,506 भा0दं0सं0 का सम्यक् अवलोकन कर लेना न्यायोचित होगा, जो कि इस प्रकार है–

धारा 452. उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार : जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध करने की या किसी व्यक्ति को उपहति, हमले या सदोष अवरोध में भय में डालने की तैयारी करके गृह अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 319. उपहति : जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंगशैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है यह कहा जाता है।

धारा 321. स्वेच्छया उपहति कारित करना : जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तदद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करें या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह सम्भाव्य है कि वह तदद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करें और तदद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह ''स्वेच्छया उपहति कारित करता है'' यह कहा जाता है।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बिजनौर।
दण्डवाद सं0–1900802/2017
अ0सं0–424/2000
राज्य बनाम विकार उर्फ सल्लू आदि।
धारा–452,324,326,504
506 भा0द0सं0।
थाना–नहटौर, बिजनौर।

धारा 324. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना– उस दशा के सिवाय, जिसके सम्बन्ध में धारा 334 उपबन्ध किया गया है, जो कोई असन (Shooting), वेधन (Stabbing) काटने (Cutting) के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा, जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए, तो उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ (Heated Substance) या किसी विश (Poison) या किसी संक्षारक पदार्थ (Corrosive Substance) या किसी विस्फोटक पदार्थ (Explosive Substance) के द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका स्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक हो, या किसी जीव जन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 320. घोर उपहति (Grievous Hurt)–उपहति की केवल नीचे लिखी किस्में 'घोर' कहलाती हैं–

प्रथम–पुंसत्वहरण (Emasculation).

द्वितीय–दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थाई विच्छेद (Permanant Privation).

तृतीय–दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थाई विच्छेद (Permanant Privation).

चतुर्थ–किसी भी अंग या जोड का विच्छेद (Privation of any member or joint).

पंचम–किसी भी अंग या जोड की शक्तियों का नाश (Distruction) या स्थाई ह्रास (Permanant imparement).

षष्टम–सिर या चेहरे का स्थाई विद्रूपीकरण (disfiguration).

सप्तम–अस्थि (bone) या दांत (teeth) का भंग (fracture) या विसंधान (dislocation).

अष्टम–कोई अन्य उपहति, जो जीवन का संकटापन करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने मे असमर्थ रहता है।

धारा 326. खतरनाक आयुद्धो या साधनों के द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति (Grievous Hurt) कारित करना– उस दशा के सिवाय जिसके लिये धारा 335 में उपबंध है, जो कोई असन (Shooting), वेधन (Stabbing) काटने (Cutting) के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बिजनौर।
दण्डवाद सं0–1900802/2017
अ0सं0–424/2000
राज्य बनाम विकार उर्फ सल्लू आदि।
धारा–452,324,326,504
506 भा0द0सं0।
थाना–नहटौर, बिजनौर।

द्वारा, जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए, तो उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ (Heated Substance) या किसी विश (Poison) या किसी संक्षारक पदार्थ (Corrosive Substance) या किसी विस्फोटक पदार्थ (Explosive Substance) के द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका स्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक हो, या किसी जीव जन्तु द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा–504: लोक शान्ति भंग कराने के लिए प्रकोपित करने के आशय से अपमानित करना– जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद् द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांन्ति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 503 भा0दं0सं0– आपराधिक अभित्रास– जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति कारित करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे सन्त्रास कारित किया जाये, या उसे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाये, जिसे करने के लिए वैद्य रूप से आबद्ध न हो या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाये, जिसे करने हेतु वह वैद्य रूप से आबद्ध हों, वह आपराधिक अभित्रास कारित करता है।

स्पष्टीकरण:– किसी ऐसे मृत व्यक्ति के ख्याति को क्षति कारित करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति, जिसे धमकी दी गयी है, हितबद्ध है, इस धारा के अन्तर्गत आता है।

उक्त धारा के अन्तर्गत वर्णित अपराध के गठन हेतु निम्नलिखित तत्वों को पूर्ण होना आवश्यक है।

(1) किसी व्यक्ति के शरीर, प्रतिष्ठा या सम्पत्ति को या उस व्यक्ति से हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या प्रतिष्ठा को, उपहति या क्षति पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में धमकी दी गयी हो।

(2) वह धमकी इस आशय के साथ दी गयी हो कि उस धमकी से उस व्यक्ति संत्रास कारित होगा और वह व्यक्ति किसी ऐसे कार्य को करने के लिए बाध्य होगा, जिसे करने हेतु वह वैद्य रूप से हकदार नहीं है या ऐसे कार्य का लोप करेगा, जिसे करने हेतु वह वैद्य रूप से हकदार है।

धारा 506 भा0दं0सं0: आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड –''जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

यदि धमकी मृत्यु कारित किये जाने या घोर उपहति इत्यादि कारित किये जाने के सम्बन्ध में हो : तथा यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश करने या मृत्युदण्ड से आजीवन कारावास से या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने के सम्बन्ध में हो या किसी स्त्री के सतीत्व पर लांछन लगाने के सम्बन्ध हो, तो वह दोनों में किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

15. उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू पर उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से प्रथम साक्षी के रूप में वादी मुकदमा मतीन अहमद को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है, जिसकी साक्ष्य पत्रावली पर कागज सं0–11ए/1–4 के रूप में संलग्न है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 18.02.2005 में सशपथ कथन किया है कि ''हम सभी भाई एक ही मकान में रहते हैं। दिनांक 20.12.2000 को मेरे बडे भाई नसीम की पत्नी गुल्लो और मेरी पत्नी शबनम के बीच गाली–गलौच हो गयी थी। अगले दिन 21.12.2000 को नसीम की पत्नी सुबह से ही मेरी पत्नी के साथ गाली–गलौच कर रही थी। शाम को करीब 05:00 बजे मेरा भाई शमीम मेरे घर पर रोजा खोलने के लिये पपीता काट रहा था, तब भी मेरी भाभी गुल्लो गाली दे रही थी। मेरे भाई शमीम ने गुल्लो को गाली देने से मना किया, तो वह पडोस में ही अपने मायके गयी और अपने साथ विकार उर्फ सुल्लू, अकरम, खालिद उर्फ इकरार उर्फ लाला और अफजाल को बुला लायी, जो कि चाकू–छुरा व डण्डा लेकर आये थे। उक्त मुल्जिमान हमारे घर में घुसकर मुझे व मेरे भाई शमीम के साथ मारपीट करने लगे। अफजाल ने मेरे भाई शमीम की जांघ में चाकू मारा और अकरम ने मुझे छूरी मारी, जो कि मेरे गाल पर लगी। शोर पर मौहल्ले के छोटे, भूरे व अन्य बहुत से लोग

आ गये, जिन्होंने हमें बचाया। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। शमीम को मौहल्ले के कासिम व नसीम ईलाज के लिये बिजनौर ले गये। उक्त घटना के सम्बन्ध में मैंने फुरकान से बोलकर थाने पर तहरीर दी थी। उक्त तहरीर पढ़वाकर मुझे सुनायी गयी थी, जिस पर मैंने अपना अंगूठा लगाया था, जिसके आधार पर थाने पर उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उक्त तहरीर पत्रावली पर संलग्न है, जिसको मैं तस्दीक करता हूं। उक्त तहरीर पर प्रदर्श क–1 डाला गया है। रिपोर्ट लिखाने के बाद मैं और मेरी पत्नी डॉक्टरी मुआयना कराने सरकारी अस्पताल नहटौर गये थे, जहां पर रात में करीब 10:00 बजे हमारा मेडिकल हुआ था।''

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''हम तीनों भाई एक ही मकान में रहते हैं। गुल्लो मेरे बडे भाई की पत्नी है। हम लोगों के मध्य मकान को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। वारदात घर के नीचे बरामदे में हुई थी। उसी बरामदे से होकर हम सब का रास्ता है। हमारा मैंन गेट भी एक ही है। घटना के पहले से ही गुल्लो व शमीम में तकरार हो रही थी। तकरार होते ही गुल्लो अपने भाईयो को बुलाने चली गयी थी। गुल्लो का घर/मायका करीब 20 कदम की दूरी पर ही है। गुल्लो अपने चारो भाईयों को लेकर आयी थी, जिनमें से 01 अफजाल उर्फ शन्नू है। अफजाल का घर घटनास्थल से करीब 60–70 कदम दूर है। सबसे पहले अफजाल उर्फ शन्नू ने शमीम को मारा था। इसके पश्चात् अकरम ने मेरे गाल पर छूरा मारा था। हमारी भाभी ने भी हमें मारा था। झगड़ा केवल 05 मिनट तक हुआ था, जिसके सम्बन्ध में मैंने फुरकान से तहरीर लिखाकर थाने पर करीब 09:00 बजे पहुंचकर रिपोर्ट लिखायी थी। रिपोर्ट में मैंने लिखाया था कि किसके पास क्या हथियार था। यदि यह बात रिपोर्ट में न लिखी हो, तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। घटना के समय शमीम बेहोश होकर गिर गया था, जिसे उठाकर मौहल्ले वाले अस्पताल बिजनौर ले गये थे। घटना के समय मुझे और शमीम को चोटें आयी थी तथा जमीन पर खून भी गिरा था। जब मौहल्ले के लोग आये, तो उक्त मुल्जिमान मारपीट कर भाग गये थे। इसके बाद मैं अपने भाई के साथ बिजनौर आ गया था। बिजनौर से मेरे भाई शमीम को ईलाज के लिये मेरठ ले गये थे, तब मैं वापस घर नहटौर चला गया था। रिपोर्ट लिखाने में करीब आधा घण्टा लगा था। मैं और मेरी पत्नी नहटौर सरकारी अस्पताल गये थे, जहां पर मेरा और मेरी पत्नी का डॉक्टरी मुआयना हुआ था। जिस दिन दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था, उसी दिन मैंने उनको घटनास्थल एवं जमीन पर गिरा खून दिखाया था। इसके अलावा खून से सने कपड़े भी दरोगा जी को दिये थे। शमीम के शरीर का कोई अंग कटकर अलग नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि अफजाल के मेरी भाभी से नाजायज सम्बन्ध होने के कारण मैंने यह झूंठा मुकदमा लिखाया है, जबकि कोई घटना ही कारित नहीं हुई है। यह भी कहना गलत है कि

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बिजनौर।
दण्डवाद सं0–1900802/2017
अ0सं0–424/2000
राज्य बनाम विकार उर्फ सल्लू आदि।
धारा–452,324,326,504
506 भा0द0सं0।
थाना–नहटौर, बिजनौर।

गुल्लो से हमारा कोई जमीनी/मकान का विवाद चल रहा है और इसी कारण यह मुकदमा झूंठा लिखाया गया था।''

16. उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू पर उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से दूसरे साक्षी के रूप में शमीम पुत्र मुन्ने मुस्तफा, निवासी मौहल्ला लकड हारान कस्बा व थाना नहटौर, बिजनौर को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है, जिसकी साक्ष्य पत्रावली पर कागज सं0–12ए/1–5 के रूप में संलग्न है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 18.02.2005 में सशपथ कथन किया है कि ''हम सभी भाई एक ही मकान में रहते हैं। दिनांक 21.12.2000 को मैं समय करीब 05:00–05:15 बजे मैं रोजा खोलने के लिये पपीता काट रहा था। शबनम और मुर्शीदा उर्फ गुल्लो के बीच कहा–सुनी हो रही थी। मैंने इन दोनों को ही गाली–गलौच करने से मना किया था। गुल्लो ने मेरी बात नहीं मानी और गाली देती हुई बोली कि मैं बहुत समय से तुम्हारे चक्कर में हूं, तुम्हें जान से मरवाऊंगी। इसके बाद गुल्लो भागकर पडोस में ही अपने मायके चली गयी और अपने भाईयो वकार, खालिद उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू को साथ ले आयी। इनके हाथों में लाठी–डण्डा व छूरा था। उक्त मुल्जिमानों ने आते ही मारपीट करनी शुरू कर दी। अफजाल ने पीछे से मेरी जांघ पर छूरा मारा। शबनम को डण्डा मारा और अकरम ने मतीन को छूरा मारा, जो कि उसके बांये गाल पर लगा। शोर पर बीच–बचाव करने छोटे, भूरा एवं अन्य काफी लोग आ गये, जिन्होंने बचाया। घटना के बाद मौके पर खून ही खून था। मुझे सरकारी अस्पताल नहटौर ले गये थे। हालत गम्भीर होने के कारण उन्होंने मुझे बिजनौर रैफर कर दिया था, जहां से मुझे मेरठ के लिये रैफर कर दिया था।''

उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''नसीम उर्फ बब्बू मेरा बड़ा भाई है। मेरे और नसीम उर्फ बब्बू के पास खेती की जमीन है। उक्त जमीन पर हम सब अपने–अपने हिस्सों पर खेती करते हैं। मेरे और मतीन के कमरे के बीच में करीब 05–07 कदम का फांसला है। मेरे कमरे का दरवाजा पश्चिम की ओर है। गुल्लो को हमने मकान में रहने से मना नहीं किया है। घटना के समय गुल्लो ऊपर खाना बना रही थी या नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने उसे गाली–गलौच करते हुए नहीं देखा था। उसने मेरी पत्नी और मतीन की पत्नी को समय करीब 05:00 बजे शाम को शमीम के कमरे के सामने बरामदे से करीब 05 मिनट तक गाली दी थी। इसके बाद मुल्जिमान आ गये थे, जिन्होंने मारपीट शुरू कर दी थी। अफजाल ने पीछे से मुझे छूरा मारा था। छूरा मारने पर मैं तत्काल नहीं गिरा था, बल्कि 01–02 मिनट बाद गिरा था। छूरा लगने से मेरे शरीर का कोई हिस्सा कटकर जमीन पर नहीं गिरा था। घटना के समय शोर

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बिजनौर।
दण्डवाद सं0–1900802/2017
अ0सं0–424/2000
राज्य बनाम विकार उर्फ सल्लू आदि।
धारा–452,324,326,504
506 भा0द0सं0।
थाना–नहटौर, बिजनौर।

मचने पर घर के सभी लोग इकठ्ठा हो गये थे। इसके अलावा पडोसी छोटा, भूरा व अन्य लोग भी आ गये थे। हमने किसी के साथ मारपीट नहीं की थी। चोट लगने पर मैंने शोर मचाया था। शोर मचते ही उक्त मुल्जिमान भाग गये थे। गांव के कासिम व नसीम मुझे सरकारी अस्पताल नहटौर ले गये थे। इसके बाद बिजनौर लाये थे। मेरी घरवाली भी मेरे साथ थी। घटना के करीब 10 दिन बाद दरोगा जी मुझे मेरठ मिले थे। मैंने खून से सने कपड़े दरोगा जी को दे दिये थे। मैं मेरठ से करीब 2.5 माह बाद घर वापस आया था। दरोगा जी ने घटनास्थल का मुआयना मेरे सामने नहीं किया था। यह कहना गलत है कि हम गुल्लो को उक्त मकान में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं तथा न ही उसे उक्त मकान में रहना देना चाहते हैं। यह भी कहना गलत है कि हम गुल्लो व अफजाल के मध्य नाजायज सम्बन्ध होने के कारण नाराज हों और इसी कारण यह झूंठा मुकदमा लिखाया है। यह भी कहना गलत है कि उक्त खेती की जमीन केवल बब्बू के नाम है, जो कि हमें खेती नहीं करने देना चाहता है।''

17. उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू पर उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से तीसरे साक्षी के रूप में तौहीदा पत्नी शमीम, निवासिनी मौहल्ला लकड हारान कस्बा व थाना नहटौर, बिजनौर को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है, जिसकी साक्ष्य पत्रावली पर कागज सं0–13ए/1 के रूप में संलग्न है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 17.05.2005 में सशपथ कथन किया है कि ''करीब साढे चार साल पहले की बात है। शाम के समय मेरी जेठानी गुल्लो एवं देवरानी शबनम के मध्य कहा–सुनी हो रही थी। मेरे पति शमीम रोजा इफ्तार के लिये समय करीब 05:00 बजे शाम को पपीता काट रहे थे। शमीम ने इन दोनों को झगडा न करने के लिये समझाया था, जिससे गुल्लो नाराज होकर अपने भाईयों को बुलाने चली गयी। करीब 05–07 मिनट बाद गुल्लो के भाई विकार, अकरम, इकरार एवं अफजाल गाली–गलौच करते हुए घर में घुस आये। अफजाल के हाथ में चाकू था, जिसने मेरे पति शमीम को पीछे से चाकू मारा और अकरम ने मेरे देवर मतीन को छूरा मारा, जो कि उसकी गाल पर लगा। मैं और मेरी देवरानी शबनम बीच–बचाव करने आये, तो उपरोक्त मुल्जिमान ने मेरे और शबनम के साथ भी लाठी–डण्डों से मारपीट की। शोर मचाने पर छोटे, भूरा, फुरकान एवं अन्य काफी लोग आ गये थे, जिन्होंने हमें बचाया। उक्त मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये थे। मेरे पति शमीम को काफी गम्भीर चोटें आयी थी। शमीम को लेकर मतीन और शबनम के साथ सरकारी अस्पताल नहटौर गये थे, जहां से डॉक्टर ने मेरे शौहर को सरकारी अस्पताल बिजनौर के लिये

रैफर कर दिया था। बाद में उनका ईलाज मेरठ हुआ। मतीन एवं शबनम का डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल नहटौर में हुआ था।''

न्यायालय द्वारा बार–बार एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उक्त साक्षी जिरह के लिये उपस्थित नहीं आयी, जिस कारण उक्त साक्षी को जिरह के लिये उपस्थित होने का अवसर समाप्त किया गया।

18. उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू पर उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से चौथे व अन्तिम साक्षी के रूप में शबनम पत्नी मतीन अहमद, निवासिनी मौहल्ला लकड हारान कस्बा व थाना नहटौर, बिजनौर को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है, जिसकी साक्ष्य पत्रावली पर कागज सं0–14ए / 1 के रूप में संलग्न है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा दिनांकित 17.05.2005 में सशपथ कथन किया है कि ''करीब साढे चार साल पहले की बात है। मेरे जेठ शमीम रोजा खोलने के लिये पपीता काट रहे थे। मेरे और मेरी जेठानी गुल्लो के मध्य आपसी झगड़ा हो गया था, जिस पर शमीम ने हम लोगों को डांटा था। इस पर गुल्लो नाराज होकर अपने भाईयो को बुला लायी थी। मेरी जेठानी तौहीदा समय करीब 05:00 बजे शाम को घर पर ही मौजूद थी, तभी अचानक गुल्लो के भाई वकार, अकरम, इकरार और उनका दोस्त अफजाल गालियां देते हुए घर में घुस आये। अफजाल ने शमीम के भाई को चाकू मारा, जो कि जांघ में घुसते हुए अन्दर तक चला गया। मेरे शौहर मतीन बचाने आये, तो अकरम में छूरी मार दी, जो कि इनके गाल / चेहरे पर लगी। विकार और इकरार ने लाठी–डण्डों से मारपीट की, जिन्हें बचाने के लिये मैं और तौहीदा आये, तो मुल्जिमान ने मेरे और तौहीदा के साथ भी गाली–गलौच करते हुए मारपीट की, जिसमें मुझे काफी चोटें आयी थी। तौहीदा को कम चोटे आयी थीं। शोर पर भूरा, छोटे व फुरकान आदि काफी लोग आ गये थे। उक्त मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये थे। शमीम को ईलाज के लिये सरकारी अस्पताल नहटौर ले गये थे, उसके बाद उसकी हालत गम्भीर देखते हुए उसे बिजनौर अस्पताल रैफर कर दिया गया था। बाद में ईलाज हेतु उसे मेरठ ले जाया गया था। मेरा और मेरे शौहर मतीन का डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल नहटौर में हुआ था। उक्त मुल्जिमान में से विकार एवं अकरम आज हाजिर अदालत हैं।''

न्यायालय द्वारा बार–बार एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उक्त साक्षी जिरह के लिये उपस्थित नहीं आयी, जिस कारण उक्त साक्षी को जिरह के लिये उपस्थित होने का अवसर समाप्त किया गया।

19. उपरोक्त साक्षीगण के द्वारा किये गये साक्ष्य कथनों से यह स्पष्ट है कि साक्षी पी0डब्लू0 1 मतीन अहमद, जो कि उपरोक्त मामलें में वादी मुकदमा है एवं चुटैल है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 20.12.2000 को अपनी पत्नी शबनम एवं बडे भाई नसीम की पत्नी गुल्लो में मध्य गाली–गलौच होने, अगले दिन 21.12.2000 को समय करीब 05:00 बजे शाम को जब वादी का बडा भाई शमीम रोजा खोलने के लिये पपीता काट रहा था, फिर से गुल्लो के द्वारा शबनम के साथ गाली–गलौच किये जाने, शमीम के द्वारा गुल्लो को गाली देने से मना करने पर गुल्लो के द्वारा नाराज होकर पडोस में अपने मायके से अपने भाई विकार उर्फ सुल्लू, अकरम, खालिद उर्फ इकरार उर्फ लाला एवं अफजाल को बुला लेने, जिनके द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी मतीन अहमद एवं उसके भाई शमीम के साथ चाकू–छूरा व लाठी–डण्डों से मारपीट किये जाने, अकरम के द्वारा वादी के गाल पर छूरी एवं अफजाल के द्वारा शमीम की जांघ पर चाकू मारे जाने, शोर मचने पर मौहल्ले के छोटे, भूरे एवं अन्य बहुत से लोगों के आ जाने, जिसके उपरान्त उक्त अभियुक्तगण विकार उर्फ सुल्लू, इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने, मौहल्ले के नसीम एवं कासिम के द्वारा उक्त साक्षी/वादी को ईलाज के लिये बिजनौर ले जाने, उक्त घटना के सम्बन्ध में फुरकान को बोलकर थाने पर तहरीर दिये जाने, उक्त तहरीर को सुनकर उस पर अपना अंगूठा लगाने, उक्त तहरीर पत्रावली पर प्रदर्श क–1 के रूप में संलग्न होने, जिसे उक्त साक्षी के द्वारा तस्दीक किये जाने सम्बन्धी कथन किये गये हैं। इसके अलावा उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में घटना घर के नीचे बरामदें में होने, घटना के पहले से ही गुल्लो एवं शमीम में झगड़ा होने, झगड़ा होते हुए गुल्लो के द्वारा अपने भाईयो को बुला लाने, गुल्लो का मायका/उक्त अभियुक्तगण का घर करीब 20 कदम की दूरी पर होने, अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा शमीम को चाकू मारे जाने, अकरम के द्वारा उक्त साक्षी के गाल पर छूरा मारे जाने, झगडा करीब 05 मिनट तक चलने, झगड़े के समय उक्त साक्षी मतीन अहमद एवं शमीम को चोटें आने, झगड़े के समय जमीन पर खून गिरने, शोर मचने पर मौहल्ले के लोगों के द्वारा मौके पर आ जाने पर उक्त मुल्जिमान के द्वारा मारपीट करते हुए भाग जाने, उक्त घटना के सम्बन्ध में समय करीब 09:00 बजे थाने पर पहुंचकर, फुरकान से तहरीर लिखाकर उक्त अभियोग पंजीकृत किये जाने, उक्त घटना के सम्बन्ध में उक्त विवेचक द्वारा उक्त साक्षी का बयान लिये जाने, उक्त साक्षी के द्वारा विवेचक को घटनास्थल एवं जमीन पर गिरा खून दिखाये जाने,

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बिजनौर।
दण्डवाद सं0–1900802 / 2017
अ0सं0–424 / 2000
राज्य बनाम विकार उर्फ सल्लू आदि।
धारा–452,324,326,504
506 भा0द0सं0।
थाना–नहटौर, बिजनौर।

इसके अलावा खून से सने कपड़े भी दरोगा को दिये जाने सम्बन्धी कथन किये गये हैं। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपने साक्ष्य में घटना का पूर्णतः समर्थन करते हुए उक्त मामलें के सम्बन्ध में थाने पर दी गयी तहरीर को साबित किया है। साक्षी पी0डब्लू0 2 शमीम, जो कि वादी मुकदमा मतीन का भाई एवं उक्त मामलें में चुटैल है, के द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन करते हुए दिनांक 21.12.2000 को समय करीब 05:00–05:15 बजे, जब उक्त साक्षी रोजा खोलने के लिये पपीता काट रहा था, वादी मतीन की पत्नी शबनम एवं मुर्शीदा उर्फ गुल्लो के मध्य गाली–गलौच होने, शमीम के द्वारा उक्त शबनम एवं मुर्शीदा उर्फ गुल्लो को गाली–गलौच करने से मना किये जाने, गुल्लो के द्वारा बात न मानते हुए अपने भाई / उक्त अभियुक्तगण विकार उर्फ सुल्लू, इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू, जिनके हाथों में लाठी–डण्डे व छूरे थे, को बुला लाने, आते ही उक्त मुल्जिमानों के द्वारा मारपीट शुरू कर दिये जाने, अफजाल के द्वारा उक्त साक्षी शमीम की जांघ पर चाकू मारे जाने एवं अकरम के द्वारा मतीन को छूरा मारे जाने, जो कि मतीन की बायी गाल पर लगने, घटना के समय मौके पर खून ही खून हो जाने, शोर मचने पर मौके पर छोटे, भूरा व अन्य लोगों के आ जाने, उक्त साक्षी को ईलाज हेतु सरकारी अस्पताल नहटौर ले जाने, जहां पर उक्त साक्षी की हालत गम्भीर पाते हुए पहले बिजनौर एवं उसके बाद मेरठ रैफर किये जाने सम्बन्धी कथन किये गये हैं। इसके अलावा उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी झगड़ा करीब 05 मिनट तक चलने, अफजाल के द्वारा पीछे से छूरा मारे जाने, छूरा लगने से शरीर का कोई अंग कटकर जमीन पर न गिरने, घटना के समय शोर मचने पर पडोसी छोटे, भूरे व अन्य लोगों के आ जाने, शोर मचने पर उक्त मुल्जिमानों के द्वारा मौके से भाग जाने, गांव के ही कासिम व नसीम के द्वारा उक्त साक्षी को सरकारी अस्पताल नहटौर ले जाने सम्बन्धी कथन किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों में घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। साक्षी पी0डब्लू0 3 तौहीदा एवं पी0डब्लू0 4 शबनम ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन करते हुए दिनांक 21.12.2000 को समय करीब 05:00 बजे शाम को उक्त अभियुक्तगण विकार उर्फ सुल्लू, इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा झगड़ा किये जाने, जिसमें अकरम के द्वारा मतीन को एवं अफजाल के द्वारा शमीम को चाकू मारे जाने, उक्त साक्षी तौहीदा एवं शबनम के साथ लाठी–डण्डों से मारपीट किये जाने, शोर मचने पर छोटे, भूरा व अन्य काफी लोगों के आ जाने सम्बन्धी कथन किये गये हैं, किन्तु उक्त साक्षीगण अपनी प्रतिपरीक्षा हेतु न्यायालय उपस्थित नहीं आये, जिस कारण उक्त साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षा में किये गये कथन ग्राह्य नहीं माने जा सकते हैं। इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण मतीन अहमद एवं शमीम ने उपरोक्त घटना का पूर्णतः समर्थन करते हुए दिनांक 21.12.2000 को समय करीब 05:00 बजे शाम को उक्त अभियुक्तगण विकार उर्फ सुल्लू, जिसकी अब मृत्यु हो

चुकी है एवं इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा वादी के घर में जबरदस्ती घुसकर गाली–गलौच करते हुए अफजाल के द्वारा शमीम के साथ एवं अकरम के द्वारा उक्त मतीन अहमद के साथ छूरा से वार कर चोटें पहुंचाये जाने, जिनका समर्थन पत्रावली पर संलग्न मेडिकल प्रपत्र कागज सं0–8ए/1–5 से होने और उक्त अभियुक्तगण के द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने सम्बन्धी तथ्यों का पूर्णतः समर्थन किया है। चूंकि उपरोक्त साक्षीगण उक्त मामलें में चुटैल एवं चश्मदीद गवाह हैं, जिस कारण उक्त साक्षीगण के द्वारा किये गये साक्ष्य कथनों को बिना किसी ठोस कारण के अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में **भगीरथ बनाम म0प्र0 राज्य ए0आई0आर0 2019 एस0सी0 264** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि ''जब किसी चश्मदीद एवं चुटैल साक्षी के द्वारा किये गये साक्ष्य कथनों से उक्त चुटैल की चिकित्सीय परीक्षण में दर्शायी गयी चोटों का पूर्णतः समर्थन होता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त चश्मदीद एवं चुटैल साक्षी के द्वारा किये गये साक्ष्य कथनों को बिना किसी ठोस कारण के अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।'' उक्त मामलें के सम्बन्ध में बचाव पक्ष के द्वारा कुछ तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें से प्रथम मुख्य तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा उपरोक्त मामलें से सम्बन्धित एफ0आई0आर0 करीब साढे चार घण्टे की देरी से पंजीकृत करायी गयी है, जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त मामलें में वर्णित घटना समय करीब 05:00 बजे शाम की है, जिसमें वादी मुकदमा मतीन अहमद उसके भाई शमीम, पत्नी शबनम एवं भाभी तौहीदा को चोटें आयी हैं। वादी मुकदमा के द्वारा अन्य व्यक्ति फुरकान से तहरीर लिखाकर उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में समय करीब 09:20 बजे रात्रि में एफ0आई0आर पंजीकृत करायी है। इस प्रकार घटना एवं एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने में करीब चार सवा चार घण्टे का अन्तराल है, जो कि उपरोक्त परिस्थितियों में बहुत मायने नहीं रखता है। अतः अभियुक्त पक्ष/बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया उपरोक्त तर्क निरस्त किया जाता है। बचाव पक्ष/अभियुक्त पक्ष के द्वारा मुख्य तर्क यह उठाया गया है कि उक्त मामलें से सम्बन्धित एफ0आई0आर0 लेखक, विवेचक एंव डॉक्टर को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षीगण मतीन अहमद एवं शमीम अहमद के द्वारा अपने साक्ष्य में अफजाल एवं अकरम के द्वारा चाकू/छूरा से वार कर चोटें पहुंचाये जाने सम्बन्धी कथन किये गये हैं, जिनका समर्थन पत्रावली पर संलग्न उक्त शमीम एवं मतीन अहमद की मेडिकल रिपोर्ट कागज सं0–8ए/1–5 से होता है। इस सम्बन्ध में **बहादुर नायक बनाम स्टेट ऑफ बिहार AIR 2000 SC 1582, एस0के0 राशिद एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1987 (35) BLJR 335, राजकिशोर झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार**

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बिजनौर।
दण्डवाद सं0–1900802/2017
अ0सं0–424/2000
राज्य बनाम विकार उर्फ सल्लू आदि।
धारा–452,324,326,504
506 भा0द0सं0।
थाना–नहटौर, बिजनौर।

व अन्य AIR 2003 SC 4664 एवं बलदेव सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2015 (17) SSC 554 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि ''यदि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये अन्य साक्षीगण के द्वारा घटना के तथ्यों को सन्देह से परे साबित किया है और उनके द्वारा किये गये साक्ष्य कथन एवं विवेचक द्वारा तैयार किये गये अभियोजन प्रपत्रों में अंकित विवरण में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से किसी मामलें में विवेचक को परीक्षित न कराना हमेशा ही घातक नहीं होता है।'' इसके अलावा **वीरेन्द्र राय बनाम स्टेट ऑफ बिहार AIR 2005 SC 1284** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि ''यदि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये अन्य साक्षीगण के द्वारा घटना के तथ्यों को सन्देह से परे साबित किया है और उनके द्वारा किये गये साक्ष्य कथन एवं डॉक्टर द्वारा तैयार किये गये मेडिकल प्रपत्रों में अंकित विवरण में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से किसी मामलें में सम्बन्धी डॉक्टर को परीक्षित न कराना हमेशा ही घातक नहीं होता है।'' चूंकि उपरोक्त साक्षीगण के द्वारा किये गये साक्ष्य कथनों एवं विवेचक तथा डॉक्टर द्वारा तैयार किये गये उपरोक्त अभियोजन प्रपत्रों/मेडिकल रिपोर्टस में वर्णित विवरण में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त पक्ष/बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया उपरोक्त तर्क भी निरस्त किया जाता है। चूंकि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से किसी भी चुटैल को चाकू–छूरा या लाठी–डण्डा से कोई गम्भीर चोट आना साबित नहीं होता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू पर मात्र धारा 452,324,504,506 भा0दं0सं0 के ही अन्तर्गत लगाये गये आरोप ही युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होते हैं। अर्थात उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा दिनांक 21.12.2000 को समय करीब 05:00 बजे शाम को वादी के घर में जबरदस्ती घुसकर वादी मतीन अहमद एवं उसके भाई शमीम के साथ चाकू–छूरा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया जाना, गाली–गलौच करते हुए साशय अपमानित किया जाना एवं जान से मारने की धमकी देकर भयभीत किया जाना युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होता है। उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा चाकू–छूरा से कोई गम्भीर चोट पहुंचाया जाना साबित नहीं होता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में इस न्यायालय की राय में उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू उपरोक्त वर्णित धारा 452,324,504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों के अन्तर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं। तद्नुसार उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बिजनौर।
दण्डवाद सं0–1900802/2017
अ0सं0–424/2000
राज्य बनाम विकार उर्फ सल्लू आदि।
धारा–452,324,326,504
506 भा0द0सं0।
थाना–नहटौर, बिजनौर।

लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू को उपरोक्त वर्णित धारा 452,324,504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत वर्णित अपराध के सम्बन्ध में दोषसिद्ध किया जाता है।

20. उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू उपरोक्त मामलें के सम्बन्ध में पूर्व से जमानत पर हैं और आज व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा पूर्व में दाखिल किये गये स्वबंध पत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं। उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। पत्रावली सजा/दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक 22.05.2026

(नरेन्द्र कुमार–V)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1, बिजनौर।
(I.D.No.UP2155)

21. पुकार पर दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच के बाद पुनः पेश। राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित हैं।

22. उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दण्ड के प्रश्न पर कथन किया गया है कि उक्त मामला वर्ष 2000 का है, जो कि प्राचीन वादों की श्रेणी में आता है। उक्त मामलें में वर्णित वादी मुकदमा एवं अभियुक्तगण रिश्तेदार हैं। उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू अनपढ़, गरीब एवं ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं, जो कि किसी प्रकार से अपना जीवन–यापन कर रहे हैं। उक्त अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू भविष्य में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि यदि सम्भव हो, तो उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू को परिवीक्षा का लाभ देते हुए छोडे जाने की कृपा करें, अन्यथा कम से कम सजा से या जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बिजनौर।
दण्डवाद सं0–1900802 / 2017
अ0सं0–424 / 2000
राज्य बनाम विकार उर्फ सल्लू आदि।
धारा–452,324,326,504
506 भा0द0सं0।
थाना–नहटौर, बिजनौर।

23. राज्य / अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत विद्वान अभियोजन अधिकारी के द्वारा उपरोक्त पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा वादी मतीन अहमद के घर में जबरदस्ती घुसकर वादी मतीन अहमद, उसके भाई शमीम अहमद, पत्नी शबनम एवं भाभी तौहीदा के साथ चाकू–छूरा और लाठी–डण्डों से मारपीट कर चोटें पहुंचाये जाने, गाली–गलौच कर साशय अपमानित किये जाने एवं जान से मारने की धमकी देकर भयभीत किये जाने सम्बन्धी अपराध कारित किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ न देकर अधिक से अधिक सजा से दण्डित करने की कृपा करें।

24. सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

25. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा दिनांक 21.12.2000 को समय करीब 05:00 बजे शाम को वादी के घर में जबरदस्ती घुसकर वादी मतीन अहमद, उसके भाई शमीम अहमद, पत्नी शबनम एवं भाभी तौहीदा के साथ चाकू–छूरा से मारपीट कर चोटें पहुंचाये जाने, गाली–गलौच कर साशय अपमानित किये जाने एवं जान से मारने की धमकी देकर भयभीत किये जाने सम्बन्धी अपराध कारित किया गया है। उपरोक्त मामला वर्ष 2000 का है, जो कि प्राचीन वादों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक्शन–प्लान के अन्तर्गत आते हैं। उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू को तत्काल सजा न देकर परिवीक्षा का लाभ देते हुए छोड़ा जाना ही न्यायोचित होगा। किसी अभियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि पर छोड़े जाने के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, की धारा 361 एवं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के अन्तर्गत प्राविधान दिया गया है, जो कि इस प्रकार है–

धारा 361 दं0प्र0सं0:– यदि किसी मामले में न्यायालय धारा 360 दं0प्र0सं0 या अपराधी परीवीक्षा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत परिवीक्षा का लाभ दे सकता है, तो ऐसे मामलों में अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए। यदि न्यायालय ऐसा नहीं करता है तो उसे ऐसा न करने का कारण उल्लिखित करना होगा।

धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम कतिपय अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्तिः–(1) जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने का दोषी पाया जाता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी

पाया है, उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियो को, जिनके अन्तर्गत अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है, ध्यान में रखते हुए सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन हो, तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे तुरन्त दण्डित करने की बजाय, निर्देश दे सकेगा कि उसे, प्रतिभूओं सहित या रहित, उसके द्वारा ऐसा बन्ध पत्र प्रस्तुत करने पर, छोड़ दिया जाये, कि वह तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान, जैसी न्यायालय निदिष्ट करें, आहूत किये जाने पर उपस्थित होगा और दण्डादेश प्राप्त करेगा और इस बीच परिशान्ति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा :

परन्तु न्यायालय किसी अपराधी को ऐसे छोड़ दिये जाने का निर्देश तब तक नहीं देगा, जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि अपराधी या उसके प्रतिभू का, यदि कोई हो, नियत निवास स्थान या उस स्थान में नियमित आजीविका है, जिस पर वह न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है, या जिसमें अपराधी के उस कालावधि के दौरान रहने की सम्भावना है, जिसके लिए वह बंधपत्र देता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व न्यायालय, मामले के बारे में, सम्बन्धित परिवीक्षा अधिकारी की रिपार्ट पर, यदि कोई हो तो, विचार करेगा।

(3) जब उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित किया जाता है, तब न्यायालय की यह राय है कि अपराधी और जनता के हितों के लिए ऐसा करना समीचीन है, तो वह उसके अतिरिक्त एक पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकेगा, जिसमें यह निर्देश होगा कि अपराधी आदेश में नामित किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन एक वर्ष से कम न होने वाली अवधि के दौरान रहेगा, जो उसमें निर्दिष्ट हो और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्ते अधिरोपित कर सकेगा, जैसी वह अधिकारी सम्यक् पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश पारित करने वाला न्यायालय अपराधी से अपेक्षा कर करेगा कि छोड़े जाने से पूर्व, वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों का और निवास स्थान, मादक पदार्थो से प्रवरित या किसी अन्य बात के बारे में ऐसी अतिरिक्त शर्तों का जैसी न्यायालय विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसी अपराध की पुनरावृत्ति को या अपराधी द्वारा अन्य अपराधों के किये जाने को रोकने के लिए अधिरोपित करना उचित समझे, पालन करने के लिए प्रतिभूओं सहित या रहित एक बन्ध पत्र दे।

(5) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेष पारित करने वाला न्यायालय आदेश के निबन्धनों और शर्तो को अपराधी को समझायेगा और प्रत्येक अपराधी, प्रतिभू, यदि कोई हो तो और सम्बन्धित परिवीक्षा अधिकारी को तुरन्त पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति देगा।

उक्त धारा के सम्यक् अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत किसी अभियुक्त को सदाचार बनाये रखने की परिवीक्षा पर छोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि उसके द्वारा कारित किया गया अपराध मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से

दण्डनीय न हो और अपराध की गम्भीरता एवं अभियुक्तगण के चरित्र तथा सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कुछ विधि व्यवस्थायें इस प्रकार हैं–

(अ) एम0ए0 एन्टोनी उर्फ अन्टाप्पन बनाम केरल राज्य, 2019 सी0आर0एल0जे0 1532 (एस0सी0), जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ''किसी भी मामले में वर्णित दोषित व्यक्ति की सजा का निर्धारण करते समय न्यायालय द्वारा उस दोषित व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाना चाहिये क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य में सुधार एवं समाज में सदाचरण की सम्भावना हमेशा बनी रहती है।''

(ब) एम0सी0डी0 बनाम दिल्ली राज्य, ए0आई0आर0 2005 एस0सी0 2658 : जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त पारित किया गया है कि ''धारा 04 परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अन्तर्गत परिवीक्षा का लाभ दिया जाने के सम्बन्ध में न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त है और ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग अभियुक्त द्वारा कारित किये गये अपराध, अभियुक्त की उम्र, अभियुक्त के चरित्र एवं पूर्व आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुये सतर्कता के साथ किया जाना चाहिये।''

26. इसके अतिरिक्त चूंकि अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा कारित किये गये अपराध से वादी पक्ष को आर्थिक नुकसान भी हुआ है, जिस कारण वादी पक्ष को उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू से कुछ प्रतिकर भी दिलवाया जाना न्यायोचित होगा, जिसके सम्बन्ध में परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 5 में निम्न प्रावधान किया गया है–

धारा–5 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम छोड़े गये अपराधियों से प्रतिकर और खर्चा देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तिः– (1) धारा 3 या धारा 4 के अधीन अपराधी को छोड़ने का निर्देश देने वाला न्यायालय, यदि उचित समझता है, तो उसी समय एक अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा, जिसमें अपराधी को निम्नलिखित संदत्त करने के लिए निर्दिष्ट किया जायेगाः–

(क) अपराध के किये जाने से किसी व्यक्ति की हुई हानि या क्षति के लिए इतना प्रतिकर जितना न्यायालय युक्तियुक्त समझता है और

(ख) कार्यवाहियों के इतना खर्च जितना न्यायालय युक्तियुक्त समझता है।

(2) उपधारा के अधीन सदत्त किये जाने के लिए आदिष्ट रकम दं0प्र0सं0 की धारा 386 और 387 के उपबन्धों के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(3) उसी मामले से जिसके लिए अपराधी अभियोजित किया जाता है, पैदा होने वाले वाद का विचारण करने वाला सिविल न्यायालय नुकसानी दिलाने में उस रकम को गणना में लेगा, जो उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की जायेगी।

27. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में उक्त मामलें में निम्नलिखित आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

28. उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू को उपरोक्त वर्णित धाराओं 452,324,504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तत्काल दण्ड न देकर धारा 361 दं0प्र0सं0 एवं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा–4 के अन्तर्गत परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है। उपरोक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष मु0 20,000–20,000/–(बीस–बीस हजार रुपये) का एक–एक स्वबंध पत्र प्रस्तुत करने पर सदाचार बनाये रखने की 06 माह की परिवीक्षा अवधि पर इस शर्त के साथ छोडा जाता है कि उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू इतनी ही धनराशि के दो–दो प्रतिभू कार्यालय–जिला परिवीक्षा अधिकारी, बिजनौर के समक्ष इस निर्णय आदेश के 07 दिन के अन्दर इस आशय के दाखिल करेंगे कि वे इस निर्णयादेश से 06 माह की परिवीक्षा अवधि के दौरान सदाचार बनाये रखेंगे और उक्त 06 माह की अवधि के दौरान किसी प्रकार की अविधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे और इस सदाचार अवधि के दौरान प्रत्येक 03 माह के समयान्तराल पर अपनी–अपनी सदाचरण सम्बन्धी रिपोर्ट जिला परिवीक्षा अधिकारी जनपद बिजनौर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करेगें। यदि उपरोक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू उक्त परिवीक्षा अवधि के दौरान इस निर्णयादेश में लगायी गयी किसी भी शर्त का उल्लंघन करते है या किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाये जाते है, तो वे स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सजा प्राप्त करेंगे। उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू के द्वारा ऐसा न करने की दशा में न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण को तलब कर पुनः दण्ड के प्रश्न पर सुनकर पुनः दण्डित किया जा सकेगा।

29. इसके अलावा उपरोक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू वादी मुकदमा/वादी पक्ष को मु0 2000–2000 (दो–दो हजार) रूपये बतौर प्रतिकर तत्काल अदा करेगें एवं वादी पक्ष के द्वारा न्यायालय उपस्थित न होने की दशा में इस न्यायालय के कार्यालय में जमा करेंगे। वादी पक्ष के द्वारा न्यायालय उपस्थित न होने की दशा में सम्बन्धित लिपिक उक्त प्रतिकर धनराशि को नियमानुसार नजारत/ट्रेजरी में जमा कराते हुए तत्काल उक्त के सम्बन्ध में वादी पक्ष को नोटिस प्रेषित करेगा। यदि उक्त अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू उपरोक्त प्रतिकर धनराशि अदा करने में विफल रहते है तो उक्त अदा की

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–1, बिजनौर।
दण्डवाद सं0–1900802/2017
अ0सं0–424/2000
राज्य बनाम विकार उर्फ सल्लू आदि।
धारा–452,324,326,504
506 भा0द0सं0।
थाना–नहटौर, बिजनौर।

जाने वाली प्रतिकर धनराशि को जुर्माना के रूप में मानते हुए 05–05 दिन का साधारण कारावास जिला कारागार बिजनौर में भोगेंगे।

30. उक्त निर्णयादेश की एक प्रति अभियुक्तगण इकरार उर्फ लाला, अकरम एवं अफजाल उर्फ शन्नू को निःशुल्क एवं अविलम्ब प्रदान की जाएं। इसके अलावा उक्त निर्णयादेश की एक प्रति वास्ते सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी, बिजनौर को अविलम्ब प्रेषित की जाएं। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 22.05.2026

(नरेन्द्र कुमार–V)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1, बिजनौर।
(JO Code-UP 2155)

31. आज यह निर्णयादेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 22.05.2026

(नरेन्द्र कुमार–V)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं0–1, बिजनौर।
(JO Code-UP 2155)